



कार्यालय अधीक्षक नारी निकेतन
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, नांता कोटा (राज.)

ईमेल :- nariniketankota@gmail.com

दूरभाष नं. 0744-2481075

75
आज़ादी का
अमृत महोत्सव

दिनांक: 07.04.2026

क्रमांक : 11

श्रीमान आयुक्त महोदय,
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग,
राजस्थान-जयपुर।

विषय:- विभाग द्वारा संचालित नारी निकेतन कोटा में आवासनियों का विवाह द्वारा पुर्नवास हेतु
विज्ञप्ति निकलवाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि नारी निकेतन कोटा की आवासनियों का विवाह द्वारा पुर्नवास किया
जाना है। नारी निकेतन कोटा की आवासनियों के विवाह की विज्ञप्ति 02 राज्य स्तरीय समाचार पत्र में शीघ्र अतिशीघ्र
प्रकाशित करवाने का श्रम करावें।

सादर

संलग्न:- विज्ञप्ति प्रारूप

भवदीय,

अधीक्षक

नारी निकेतन

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
कोटा (राज.)

दिनांक: 07.04.2026

क्रमांक : 12-16

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है:-

1. श्रीमान निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव महोदय, सान्याअवि राजस्थान- जयपुर।
2. श्रीमान वित्तीय सलाहकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान- जयपुर।
3. श्रीमान अतिरिक्त निदेशक महोदय, (सा.सु.) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान- जयपुर।
4. श्रीमान एनालिस्ट कम प्रोगरामर महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर को भेजकर निवेदन
है कि इसे विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करावें।
5. नोटिस बोर्ड नारी निकेतन कोटा।

अधीक्षक

नारी निकेतन

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
कोटा (राज.)




विज्ञप्ति 01 / 2026-27

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नारी निकेतन कोटा में विवाह योग्य 02 आवासनियों का विवाह द्वारा पुर्नवास करवाया जाना है। इच्छुक एवं योग्य आवेदनकर्ता नारी निकेतन कोटा (राजस्थान) / विभागीय वेबसाईट sjerajasthan.gov.in से आवेदन प्रारूप प्राप्त कर दिनांक 10.05.2026 तक मय दस्तावेजों के कार्यालय नारी निकेतन कोटा में जमा करावें। निर्धारित तिथि पश्चात आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जावेंगे।

नोट :-

1. आवासनियों का मेडिकल करवाया जाना शेष है।
2. आवासनियों की संख्या में कमी या बढ़ोतरी हो सकती है।
3. विज्ञप्ति को निरस्त करने का अधीक्षक का अधिकार सुरक्षित रहेगा।


अधीक्षक
नारी निकेतन
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
कोटा (राज.)